न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 17/2012/भीलवाड़ा (2012/00028)

अब्दुल शरीफ पुत्र श्री रसूल बक्ष निवासी ए–251, कुम्भा सर्कल, आजाद नगर भीलवाड़ा।

अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा आदेश कमांक न्याय/आर्म्स/ आदेश /2012/डी–3375 दिंनाक 06.02.2012

————

उपस्थितः 1–श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम टोपीदार बन्दूक एक नाल नम्बर 541(2) तथा टोपीदार बन्दूक दो नाल नम्बर 542 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 2/2005 जो कि लगातार 2005 से नवीनीकरण होता आ रहा था जिसके नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसके संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से अपीलार्थी के चरित्र संबंधी रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के चरित्र के बारे में कोई भी रिपोर्ट विपरीत नहीं की। उनके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व मुकदमा संख्या 200/91 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6/25 आर्म्स एक्ट के तहत लम्बित होकर न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर दिनांक 6–2–2012 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:12 IST
Reason: SelfAttested

हथियार का लाईसेंस निरस्त कर दिया। इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लाईसेंस को रिवोक/निलम्बन/निरस्त संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व लाईसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसलिए अपीलाधीन आदेश आर्म्स एक्ट की धारा 17(1) व (3) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। इस आदेश में लाईसेंस को निरस्त करने का कोई आधार अंकित नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेंस उन्हीं परिस्थितियों में निलंबित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी ने कभी भी लाईसेंसशुदा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की इस रिपोर्ट को माना कि अपीलार्थी के विरूद्व प्रकरण संख्या 200/91 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6/25 आर्म्स एक्ट सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी के स्व0 पिता व अजीज अहमद के संयुक्त साझेदारी में हथियार बनाने का वैद्य कारखाना था। अपीलार्थी के पिता का दिनांक 4.11.1990 को स्वर्गवास हो गया था तब संयुक्त साझेदार अजीज अहमद के आधिपत्य में निर्माणाधीन गन बेरल्स थी वह सभी अनुज्ञाधारी अजीज अहमद के रजिस्टर्ड कारखाने के स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाकर सुरक्षित रखी थी। चूंकि अपीलार्थी भी इसी स्थान पर रहता है इसलिए अपीलार्थी के विरूद्ध भी आर्म्स एक्ट की धारा 3, 5, 6,/25 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग भीलवाड़ा ने अपीलार्थी को धारा 5 व 6/25 के तहत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। केवल 3/25 आर्म्स एक्ट के आराध के लिए प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिससे अपीलार्थी का कोई लेना देना नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के आधार पर हथियार का लाईसेंस निरस्त करना अविधिक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:12 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) में यदि लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है तो लाईसेंसिंग अथोरिटी को उप–धारा 5 में कारण बताने होंगे कि लाईसेंसी के पास हथियार होने से किन

कारणों से जन सुरक्षा को खतरा है। एक मुकदमा जो लाईसेंस जारी होने से पूर्व का था। केवल इस कार्यवाही से जन सुरक्षा को खतरा होने का आधार मानना किसी भी स्थिति में विधिसम्मत नहीं है जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध कभी भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 110 व 116(3) के तहत कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर की खण्डपीठ ने 2005(2) Cr.L.R.(Raj) पृष्ठ 907 में प्रकाशित डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 576/2003 निर्णय दिनांक 18–1–2005 में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने यह इंगित नहीं किया कि लोक शांति की सुरक्षा बनाये रखने के लिए किस प्रकार अपीलार्थी के आयुद्ध लाईसेंस को रद्द करना जरूरी था। माननीय खण्डपीठ ने यह भी मत व्यक्त किया कि केवल कुछ फौजदारी मुकदमें लम्बित होने के आधार पर आयुद्ध लाईसेंस निरस्त करना न्यायोचित नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2006(3) क्रिमिनल कोर्ट केस पृष्ठ 503 में प्रकाशित निर्णय पीटीशन नम्बर 13164/2003, डी दिनांक 8.11.2005 वीरेन्द्र पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में स्पष्ट मत व्यक्त किया गया है कि फौजदारी प्रकरण लम्बित होने या उसमें सम्मिलित होने पर भी आयुद्ध लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2006 के बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने से पहले बिन्दु संख्या 5.2(1) से 5.2(12) में वर्णित बिन्दुओं की पालना करने पर ही लाईसेंस आगे रिन्यु करने की व्यवस्था की है। इसमें आर्म्स रूल्स के नियम 3 व 4 का भी उल्लेख है तथा परिशिष्ठ 10 में शपथ–पत्र भी दिये जाने की व्यवस्था है। बिन्दु संख्या 5 में वर्णित शर्तो की अवहेलना का अपीलार्थी दोषी नहीं है। इनमे से कोई भी बिन्दु अपीलार्थी के विपरीत नहीं है। अपीलार्थी प्रतिष्ठित व्यक्ति है। स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार की आवश्यकता रहती है। राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्र. प–1(13) गृह–9/2006 दिनांक 13.7.2007 के बिन्दु संख्या 6 (क) व (ख) के अनुसार सुरक्षा के लिए हथियार का लाईसेंस जारी किया जा सकता है। अपने उक्त कथन के समर्थन में अपीलार्थी अभिभाषक ने 2005(2) Cr.L.R.(Raj) पृष्ठ 907, 2006 (3) सीआरसीसी पृष्ठ 502 एवं परिपत्र क्रमांक प–1(13) गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2010 की नजीरे प्रस्तुत कर इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के नाम टोपीदार बन्दूक एक नाल नम्बर 541 (2) तथा टोपीदार बन्दूक दो नाल नम्बर 542 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 9/2005 बहाल करते हुए इनका नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:12 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की [illegible] बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि रा0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र का सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने

के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी के नाम टोपीदार बन्दूक एक नाल नम्बर 541(2) तथा टोपीदार बन्दूक दो नाल नम्बर 542 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 2/2005 बाबत एवं अपीलार्थी के चरित्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 299 दिनांक 5.1.2012 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलार्थी श्री अब्दुल शरीफ पुत्र रसूल बक्ष निवासी ए–251 कुम्भा सर्किल के पास आजाद नगर भीलवाड़ा थाना प्रतापनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 200/91 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज हो न्यायालय में विचाराधीन है। लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगली अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना अनुचित है। उक्त आधार पर जिला मजिस्ट्रट भीलवाड़ा द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/02/2005 को निरस्त कर अपीलार्थी को दोनो टोपीदार हथियारों को संबंधित थाने पर जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी के नाम टोपीदार बन्दूक एक नाल नम्बर 541(2) तथा टोपीदार बन्दूक दो नाल नम्बर 542 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्याबलएचएल/2/2005 जो कि लगातार 2005 से नवीनीकरण होता आ रहा था। इसके नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से अपीलार्थी के चरित्र संबंधी रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने अपने पत्र क्रमांक भील/विशा0/आर्म्स/11/299 दिनांक 5–1–2012 द्वारा रिपोर्ट जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा को प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 200/91 धारा 3, 5, 6/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन होने एवं लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना अनुचित है, अंकित किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग संख्या 03 भीलवाड़ा के यहां विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 3/25, 5/25, 6/25 आर्म्स एक्ट के तहत विचाराधीन थे जिसमें न्यायालय द्वारा उनके निर्णय दिनांक 30–4–2007 के द्वारा अभियुक्त [illegible] अब्दुल रफीक पुत्र रसूल बक्ष मुसलमान व अब्दुल शरीफ उर्फ बाबू पुत्र रसूल मुसलमान को धारा 5/25 व 6/25 आर्म्स एक्ट के आरोपित अपराध में [illegible] के अभाव में दोष मुक्त घोषित किया गया एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपित अपराध में दोष सिद्ध घोषित किया जाकर एक–एक वर्ष कठोर कारावास एवं 1000–1000 रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:12 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में विचाराधीन प्रकरण में वर्तमान में क्या स्थिति है, के संबंध में कोई भी दस्तावेजात न तो रेकार्ड पर मौजूद है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज बहस के दौरान प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को हस्त लिखित पत्र दिनांक 23–1–2012 में स्वयं स्वीकार किया है कि धारा 3/25 में वर्तमान में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला मजिस्ट्रट, भीलवाड़ा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट एवं माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा धारा 3/25 में अपीलार्थी को आरोपित अपराध में दिनांक 30–4–2007 को दोष सिद्ध घोषित किया जाने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र 12 बोर डी.बी.बी.एल. शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बी.एच. एल/02/2005 को एवं इसमें दर्ज हथियार (1) टोपीदार बन्दूक एक नाल नं0 541 (2) टोपीदार बन्दूक दो नाल नम्बर 542 को पुलिस थाना प्रतापनगर में जमा कराने हेतु पाबन्द किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/आदेश/2012/डी–3375 दिनांक 06–02–2012 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:12 IST
Reason: SelfAttested